फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री भंवरसिह पुत्र श्री वरदसिंह रावत नि. चक कालागुन, पोस्ट ताल तहसील देवगढ जिला राजसमंद
— **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा—अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 76/2022**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 17.04.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, देवगढ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, देवगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ द्वारा जरिये पत्रांक आरटीआई/2023/16 दिनांक 04.01.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट होने से एवं कार्यालय में कार्मिकों की कमी एवं कार्य की अधिकता के कारण कार्यालय समय में उपस्थित हो दस्तावेजो का निरीक्षण कर चाही गई सूचना प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी को लो.सू.अ. उपखण्ड अधिकारी, देवगढ द्वारा पत्रांकः आरटीआई/2022/710 दिनांक 15.11.2022 से लिखा जा चुका है। उक्त हस्तगत प्रकरण से संबंधित सूचना तहसील कार्यालय देवगढ एवं एवीवीएनएल देवगढ से संबंधित होने से सूचना संबंधित विभाग से प्राप्त की जाकर लो.सू.अ. उपखण्ड अधिकारी, देवगढ द्वारा अपीलार्थी को पत्रांकः आरटीआई/2022/234—35 दिनांक 31.03.2023 से भिजवाई जा चुकी है।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवादी जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर